

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 109/2017 राजस्व अपील

1. उमराव, रोशन पुत्र पुरणमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गावडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.09.2015 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम उमराव, रोशन मुकदमा नम्बर 44/2015 अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम


उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:— निर्णय :—

दिनांक: 10.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण की पूर्व में एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत कि गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। जिस पर नायब तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2015 का निर्णय स्थगित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थगित किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये पुनः इसी पत्रावली पर अतिक्रमण मानते हुए वारंट जारी किया गया एवं साक्ष्य सबूत का प्रार्थी अपीलान्त को कोई अवसर नहीं दिया गया एवं दिनांक 08.09.2015 को अवैध आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 03 रकबा

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दौसा

2 बीघा राजकीय चारागाह भूमि पर संवत 2072 में अपीलान्त का पुनः अतिक्रमण मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।



अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त ने चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में पुनरावर्ती बाबत मौका मुआयना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अतिक्रमण मानते हुए व बिना मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्त का चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इस बाबत पुनः शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 03 रकबा 2 बीघा राजकीय चारागाह भूमि पर संवत 2072 में अपीलान्ट्स द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.09.2015 पारित किया गया है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि पर अपीलान्त का संवत 2072 में पुनः अतिक्रमण मानते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है किन्तु पटवारी हल्का की पुनरावर्ती रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

10/6  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
जहानाबाद

प्रकरण संख्या : 109/2017 राजस्व अपील

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 03 रकबा 2 बीघा राजकीय चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किया जाता है। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय दिनांक 08.09.2015 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलेक्टर,  
दौसा

( राजवीर सिंह चौधरी )  
अति० जिला कलेक्टर,  
दौसा